गेल (इंडिया) लिमिटेड और उसके सीजीडी संयुक्त उद्यम तथा गेल गैस लिमिटेड और उसके संयुक्त उद्यम

उद्यमियों/ एकमात्र प्रोपराइटरशिपों/ पार्टनरशिपों/ सीमित देयता पार्टनरशिपों/ कंपनियों/ सहकारी समितियों/ प्रौद्योगिकी प्रदाताओं

से

एसएटीएटी

(सस्ते परिवहन के लिए सतत विकास विकल्प)

के अंतर्गत

संपीड़ित बॉयो गैस (सीबीजी) की आपूर्ति

के लिये

रुचि की अभिव्यक्ति

(ईओआई)

आमंत्रित करते हैं

क्र.सं.	सीजीडी कंपनी का नाम	वेबसाइट
1	गेल (इंडिया) लिमिटेड	www.gailonline.com
2	गेल गैस लिमिटेड	www.gailgas.com
3	अवंतिका गैस लिमिटेड	www.aglonline.net
4	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	www.bglgas.com
5	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड	www.cugl.co.in
6	ग्रीन गैस लिमिटेड	www.gglonline.net
7	महानगर गैस लिमिटेड	www.mahanagargas.com
8	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	www.mngl.in
9	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड	www.tngclonline.com
10	वडोदरा गैस लिमिटेड	www.vgl.co.in
11	गोदावरी गैस प्राइवेट लिमिटेड	www.godavarigas.in
12	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड	www.rsgl.rajasthan.gov.in
13	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	www.hngpl.in
14	गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	www.goanaturalgas.com
15	पूर्बा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड	www.pbgpl.com/about
16	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड	www.bgcl.co.in

(प्रेस विज्ञप्ति)

रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रण सूचना

संदर्भ गेल_सीबीजी27 **दिनांक: 01/12/2022**

गेल (इंडिया) लिमिटेड और उसके सीजीडी संयुक्त उद्यमों तथा गेल गैस लिमिटेड और उसके संयुक्त उद्यमों के लिए संपीड़ित बॉयो गैस (सीबीजी) की आपूर्ति

1. गेल (इंडिया) लिमिटेड भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन और विपणन कंपनी है। इसके अलावा, गेल अपने सीजीडी संयुक्त उद्यमों/ सहायक कंपनियों और उनके संयुक्त उद्यमों के साथ विभिन्न क्षेत्रों को गैस की आपूर्ति करने अर्थात् परिवहन क्षेत्र को संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), भारत के विभिन्न शहरों में घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र के लिए पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस (पीएनजी) हेतु नगर गैस वितरण (सीजीडी) व्यवसाय के विकास में लगी है। सीजीडी व्यवसाय में शामिल कंपनियों के नाम इस प्रकार हैं;

   i. गेल (इंडिया) लिमिटेड
   ii. गेल गैस लिमिटेड
   iii. अवंतिका गैस लिमिटेड
   iv. भाग्यनगर गैस लिमिटेड
   v. सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
   vi. ग्रीन गैस लिमिटेड
   vii. महानगर गैस लिमिटेड
   viii. महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
   ix. त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड
   x. वडोदरा गैस लिमिटेड
   xi. गोदावरी गैस प्राइवेट लिमिटेड
   xii. राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड
   xiii. हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड
   xiv. गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड
   xv. पूर्बा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड
   xvi. बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड

इस ईओआई में बाद में उपरोक्त कंपनियों को सीजीडी कंपनियों के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

2. सीजीडी कंपनियाँ, संयंत्र प्रोसेसिंग बायोमास/ अपशिष्ट से संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) की आपूर्ति करने और देश भर में सीजीडी कंपनियों के विभिन्न खुदरा बिक्री केंद्रों को उत्पादित संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) प्रदान करने वाले संयंत्रों के लिए, **उद्यमियों/ एकमात्र प्रोपराइटरशिप/ पार्टनरशिप/ सीमित देयता पार्टनरशिप/ कंपनियों/ सहकारी समितियों/ प्रौद्योगिकी प्रदाताओं** (इसके बाद से **आवेदक** के रूप में संदर्भित किया गया है) से ऑनलाइन रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करती हैं।

3. इस ईओआई को आमंत्रित करने का उद्देश्य आवेदक को भारत में सीबीजी संयंत्रों के लिए बायोमास/ अपशिष्ट की स्थापना करने और सीबीजी की मौजूदा क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

4. इस ईओआई दस्तावेज़ में उल्लिखित आवेदकों को अंतिम रूप देना एक सतत प्रक्रिया है।

<u>इस ईओआई के लिए अन्य विवरण</u>

ईओआई डाउनलोड	ईओआई नीचे तालिका में दी गई किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है
ईओआई लागत	शून्य
ईओआई वैधता	31.05.2023
ईओआई मूल्यांकन	मासिक आधार पर
हस्ताक्षरित मुद्रांकित ईओआई की प्रस्तुति	पूरी तरह से भरा हुआ, हस्ताक्षरित मोहर लगी ईओआई संबंधित सीजीडी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी, जिसके भौगोलिक क्षेत्र में आवेदक cbg@gail.co.in पर कॉपी सहित सीबीजी बेचने का इच्छुक है। ईमेल के लिए नीचे **तालिका क** देखें।

<u>तालिका क</u>

क्र.सं.	**सीजीडी कंपनी का नाम**	**वेबसाइट**	**ईओआई प्रस्तुत करने के लिए ईमेल आईडी**
1	गेल (इंडिया) लिमिटेड	**www.gailonline.com**	**sanjay.singh@gail.co.in**
2	गेल गैस लिमिटेड	**www.gailgas.com**	**cbg.gailgas@gail.co.in**
3	अवंतिका गैस लिमिटेड	**www.aglonline.net**	**marketing@aglonline.net**
4	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	**www.bglgas.com**	**subhashis@bglgas.com**
5	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड	**www.cugl.co.in**	**navinsingh@cugl.co.in**
6	ग्रीन गैस लिमिटेड	**www.gglonline.net**	ayush.dwivedi**@gglonline.net**
7	महानगर गैस लिमिटेड	**www.mahanagargas.com**	**ebuy@mahanagargas.com**
8	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	**www.mngl.in**	**cbg@mngl.in**
9	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी	**www.tngclonline.com**	**bananidebbarman@gail.co.in**

	लिमिटेड		
10	वडोदरा गैस लिमिटेड	**www.vgl.co.in**	cbg.gailgas@gail.co.in
11	गोदावरी गैस प्राइवेट लिमिटेड	**www.godavarigas.in**	cbg.gailgas@gail.co.in
12	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड	**www.rsgl.rajasthan.gov.in**	cbg.gailgas@gail.co.in
13	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	**www.hngpl.in**	cbg.gailgas@gail.co.in
14	गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	**www.goanaturalgas.com**	cbg.gailgas@gail.co.in
15	पूर्बा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड	www.pbgpl.com/about	cbg.gailgas@gail.co.in
16	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड	**www.bgcl.co.in**	**pkbiswas@bgcl.co.in**

5. **प्रश्न:** आवेदक ध्यान दें कि संबंधित सीजीडी कंपनी के ईओआई से संबंधित कोई भी प्रश्न प्रतिलिपि सहित केवल **तालिका क** में cbg@gail.co.in पर उपलब्ध कराई गई ईमेल आईडी पर ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए। किसी अन्य रूप में प्राप्त प्रश्न/ स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं दिया जाएगा। संबंधित सीजीडी कंपनी द्वारा लिखित उत्तर उसी आईडी पर दिया जाएगा।

6. पूर्ण ईओआई के विवरण के लिए, इच्छुक पार्टियां गेल और उसके सीजीडी संयुक्त उद्यम तथा गेल गैस लिमिटेड और उसके संयुक्त उद्यमों की वेबसाइट देख सकती हैं, जैसा कि **तालिका क** में ऊपर वर्णित है।

7. सीजीडी कंपनियां सरकारी निर्देशों/ अपनी व्यावसायिक आवश्यकता के आधार पर ईओआई को **वापस** ले सकती हैं या उसमें **संशोधन** कर सकती हैं।

8. ईओआई प्रस्तुत करना

किसी भी सीजीडी कंपनियों के लिए सभी मामलों में पूर्ण ईओआई को तालिका क में उल्लिखित अनुसार संबंधित सीजीडी कंपनी की ईमेल आईडी पर ई-मेल के माध्यम से भरी, हस्ताक्षरित, मोहर लगाकर प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसके लिए आवेदक को प्रतिलिपि सहित cbg@gail.co.in को नियत तारीख और समय से पहले आवेदन करना होगा। कोई भी ईओआई भौतिक रूप से स्वीकार नहीं की जाएगी।

सभी सीबीजी संयंत्रों के लिए पृथक ईओआई प्रस्तुत किया जाएगा ।

आवेदक किसी विशेष संयंत्र के लिए किसी विशिष्ट सीजीडी कंपनी को आवेदन कर सकते हैं। यदि एक ही संयंत्र के लिए एक से अधिक सीजीडी कंपनी/ कंपनियों को ईओआई प्रस्तुत की जाती हैं, तो सभी सीजीडी कंपनियों द्वारा संयंत्र के लिए ईओआई अस्वीकार कर दी जाएगी।

I. प्रस्तावना

1. कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ने की खोई, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट जैसे अपशिष्ट/ बॉयो-मास स्रोत, अवायवीय अपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से जैव-गैस का उत्पादन करते हैं। बायो-गैस को हाइड्रोजन सल्फाइड (एच$_2$एस), कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ$_2$), जल वाष्प और संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) के रूप में संपीड़ित करने के लिए शुद्ध किया जाता है, जिसमें 90% से अधिक मीथेन (सीएच4) सामग्री होती है। सीबीजी में सीएनजी के समान कैलोरी मान और अन्य गुण होते हैं और इसलिए इसका हरित अक्षय ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार यह देश में बहुतायत बायोमास उपलब्धता को देखते हुए, ऑटोमोटिव, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में सीएनजी का स्थान ले सकता है।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पहले ही जैव ईंधन 2018 पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा कर दी है, जो देश में सीबीजी सहित उन्नत जैव ईंधन को बढ़ावा देने पर बल देती है।

3. सीबीजी और उद्यमिता अवसरों के लिए एक स्थिर आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए, सीबीजी संयंत्रों को मुख्य रूप से स्वतंत्र उद्यमियों द्वारा स्थापित किया जाएगा। सीजीडी कंपनी ऐसे संयंत्रों से उत्पादित सीबीजी का उठान करेगी।

4. सीबीजी इकाइयां भारत में मौजूदा, निर्माणाधीन और नियोजित संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) संयंत्रों से सीबीजी की खरीद का प्रस्ताव करती हैं।

5. आवेदक के लिए सामान्य शब्द निम्नलिखित अनुसार होंगे:-

क) आवेदक परियोजना की योजना, तैयारी, इंजीनियरिंग और निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें कच्चे माल का भंडारण, प्रचालन और संयंत्र का रखरखाव, अंतिम उत्पाद आउटपुट मात्रा और गुणवत्ता को बनाए रखना, उप-उत्पादों का प्रबंधन और मौजूदा केंद्रीय/ राज्य मानदंडों के अनुसार संयंत्र से कचरे का प्रबंधन, और अपनी लागत पर परियोजना के लिए निष्पादन गारंटी शामिल है।

ख) सीबीजी संयंत्र की स्थापना और उसे चालू करना तथा थ्रूपुट दर पर इसके निरंतर प्रचालन के लिए संपूर्ण भूमि और वित्त की व्यवस्था करना आवेदक की पूर्ण जिम्मेदारी है।

ग) आपूर्ति की जाने वाली संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) बीआईएस (नीचे विनिर्दिष्ट) के **आईएस 16087:2016** विनिर्देशों और उक्त विनिर्देशों में किसी भी अन्य संशोधन को पूरा करेगी।

आईएस 16087:2016 मानक		
क्र.सं.	**विशेषता**	**आवश्यकता**
1	मीथेन प्रतिशत (सीएच4), न्यूनतम	90.0 %
2	केवल कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिशत (सीओ$_2$), अधिकतम	4%

आईएस 16087:2016 मानक		
क्र.सं.	**विशेषता**	**आवश्यकता**
3	कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ$_2$) + नाइट्रोजन (एन2) + ऑक्सीजन (ओ$_2$) प्रतिशत, अधिकतम	10%
4	ऑक्सीजन (ओ$_2$) प्रतिशत, अधिकतम	0.5%
5	कुल सल्फर (एच$_2$एस सहित) एमजी/ एम, अधिकतम	20 एमजी/ एम^3
6	नमी मिलीग्राम / एम^3, अधिकतम	5 मि.ग्रा./ एम^3

आईएस 16087:2016 विनिर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित भी पूरा किया जाएगा:

i. सीबीजी भंडारण और वितरण प्रणाली में आने वाले तापमान और दबाव की पूरी श्रृंखला में तरल पदार्थों से मुक्त होगा।

ii. सीबीजी कण पदार्थ जैसे गंदगी, धूल आदि से मुक्त होगा।

iii. वितरित सीबीजी को स्थानीय वितरण में पाए जाने वाले स्तर के समान ही वर्गीकृत किया जाएगा (संदर्भ: आईएस 15319)

घ) सीबीजी को 250 बार में संपीड़ित किया जाना चाहिए और इसके भौगोलिक क्षेत्र में सीजीडी कंपनी में उल्लिखित स्थान के अनुसार सीजीडी कंपनी खुदरा बिक्री केंद्रों को कैस्केड्स के माध्यम से आपूर्ति करेगी।

ड.) उत्पादित सीबीजी की मात्रा की खरीद के लिए ओजीसी उत्तरदायी होगा तथा अपने भौगोलिक क्षेत्र में सीएनजी (परिवहन) एवं पीएनजी (घरेलू) खंड की कुल खपत तक अपने संयंत्रों से अपने सीजीडी जीए में सुपुर्द करेगा तथा अपने खुदरा बिक्री केन्द्र नेटवर्क अथवा अपने उपभोक्ता नेटवर्क के माध्यम से इसकी बिक्री केरगा ।

हालांकि, किसी भी कारण से यदि आपके सीबीजी संयंत्रों में उत्पादित संपूर्ण सीबीजी की खरीद ओजीसी द्वारा नहीं की जाती है तो आपके प्लांट से उत्पादित अधिशेष सीबीजी के विपणन हेतु अन्य विकल्पों की तलाश करने में ओजीसी सूत्रधार के रूप में कार्य करेगा और अपनी इन्छा के अनुरूप वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से अपने संयंत्रों से उत्पादित अधिशेष के विपणन हेतु उसे पूर्ण अधिकार होगा।

च) एक एकल सीबीजी संयंत्र की न्यूनतम डिजाइन क्षमता **2.0 टन** प्रति दिवस (टीपीडी) सीबीजी होगी।

6. योग्यता मानदंड

क) आवेदक की आयु न्यूनतम 21 वर्ष (व्यक्तिगत आवेदन के मामले में) होनी चाहिए।

ख) आवेदक भारतीय नागरिक होगा और /या अनिवासी भारतीय /या भारत में पंजीकृत कंपनी और /

भारतीय मूलका व्यक्ति और/या भारत में अपना पंजीकृत कार्यालय रखने वाली बहु /राष्ट्रीय कंपनी- भारत मेंअपने पंजीकृत कार्यालय रखने वाला विदेशी कॉर्पोरेट निकाय होगा।

ग) आवेदक कोई संयुक्त उद्यम, एसपीवी या कोई परिसंघ हो सकता है, ऐसे मामलों में प्रमुख पार्टनर के अनुभव और वित्तीय मूल्यांकन पर विचार किया जाएगा।

घ) आवेदक समय-समय पर भारत सरकार या स्थानीय सरकार/ सरकारी निकायों द्वारा सीबीजी संयंत्रों की स्थापना और इसके संचालन और रखरखाव के लिए निर्धारित सभी वैधानिक मानदंडों का पालन करेगा।

ड.) दस्तावेजी साक्ष्य

- आवेदक फर्म की संस्थापन का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा ।
- एकल स्वामित्व के मामले में अथवा अन्य किसी कारणवश जहां संस्थापन का प्रमाण-पत्र उलबब्ध नहीं है, जीएसटी पंजीकरण या किसी भी सरकारी लाइसेंस के जारी करने की तिथि पर विचार किया जाएगा।
- उपरोक्त दस्तावेजों में से किसी की अनुपस्थिति के मामले में, स्वामित्व की स्थापना की घोषणा के साथ एकमात्र प्रोपराइटरशिप के पैन कार्ड जारी करने की तारीख पर विचार किया जाएगा।

आवेदक का नाम निगमन और/ या किसी अन्य लागू दस्तावेजों के प्रमाण-पत्र के अनुसार नाम से मेल खाना चाहिए।

च) **ईओआई आवेदन दस्तावेजों का मूल्यांकन**

मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों को प्रामाणिक माना जाएगा और विनिर्दिष्ट ई-मेल में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के माध्यम से किए गए दावों की आगे कोई जांच या भौतिक जांच नहीं की जाएगी।

लेकिन यदि बाद के चरण में यह पाया जाता है कि प्रस्तुत दस्तावेजों में दी गई कोई भी जानकारी प्रामाणिक/ वास्तविक नहीं है, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि एलओआई जारी की गई है, तो वह भी रद्द हो जाएगी।

7. **जोखिम**

आवेदक को सीबीजी संयंत्र की स्थापना और इसके विपणन में शामिल विभिन्न जोखिमों के बारे में भली-भांति पता होना चाहिए और किसी भी निवेश निर्णय के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले स्वतंत्र रूप उचित विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। सीजीडी कंपनी उनके किसी भी व्यावसायिक निर्णय या किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भविष्य में होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

8. संभावित आवेदक संबंधित सीजीडी कंपनी और उनके संबंधित भौगोलिक क्षेत्र के नाम को स्पष्ट रूप से संयंत्र-वार निर्दिष्ट करेगा, जिसके माध्यम से वे सीबीजी का विपणन करना चाहते हैं। सीजीडी कंपनियों के भौगोलिक क्षेत्र का विवरण **अनुबंध III** में दिया गया है।

9. सीबीजी की आपूर्ति के लिए व्यवसाय मॉडल

उत्पादक/ विक्रेता (पार्टी / उद्यमी), सीबीजी की सीजीडी कंपनी के ***मौजूदा या नए खुदरा बिक्री केंद्र/ स्टैंड-अलोन बिक्री स्थल*** पर कैस्केड के माध्यम से सुपुर्दगी करेंगे। सीजीडी कंपनी में सीबीजी वितरण के लिए उपकरण, मौजूदा या नए खुदरा बिक्री केंद्र/ स्टैंड-अलोन बिक्री स्थल को सीजीडी कंपनी द्वारा स्थापित और रखरखाव किया जाएगा और सीजीडी कंपनी या उसके अधिकृत सेवा एजेंट/ डीलर/ प्रतिनिधि द्वारा रखा और संचालित किया जाएगा। खुदरा बिक्री केंद्र पर कंप्रेसर/ सहमत बिंदु के कैस्केड / इनलेट फ्लेंज का आउटलेट फ्लेंज सीबीजी के लिए बिक्री का बिंदु होगा। कैसकेड से वितरण होने तक खुदरा बिक्री केंद्र में कंप्रेसर कास्केड से जुड़ा रहेगा।

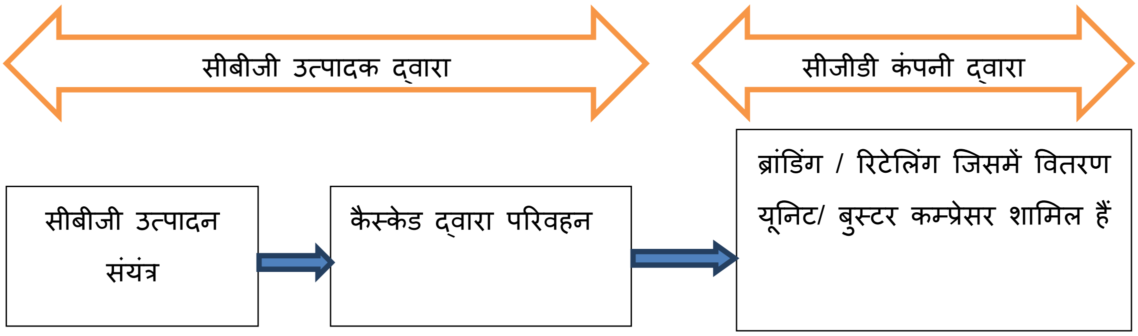

<u>सीबीजी का मूल्य निर्धारण ढांचा</u>

आईएस 16087:2016 मानक के अनुरूप 250 बार प्रेसर पर संपीड़ित सीबीजी का दीर्घावधि प्रापण मूल्य कैस्केड में सीजीडी खुदरा बिक्री केंद्र को सुपुर्द की गई जो निम्नानुसार है :-

1. सीबीजी का खरीद मूल्य सिद्धांत पर आधारित होगा "एक बाजार में सीबीजी का खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) सीएनजी के आरएसपी के बराबर होगा (जैसा कि अधिकृत सीजीडी इकाई द्वारा प्रदान किया गया है)"।

2. आईएस 16087 2016 विनिर्देशन (या इसके नवीनतम संस्करण) के अनुसार किसी भी दूरी (एक तरफ से 75 किमी तक) पर स्थित खुदरा आउटलेट पर वितरित सीबीजी का न्यूनतम खरीद मूल्य रु. 54/किग्रा प्लस लागू जीएसटी होगा और 250 बार दबाव पर कम्प्रेस्ड और वितरित किया जाएगा और 01.06.2022 से कैसकेड में ओएमसी रिटेल आउटलेट्स को सुपुर्द किया जाएगा । इसके अलावा, सीबीजी का खरीद मूल्य सीएनजी के आरएसपी के अनुसार अलग-अलग होगा।

3. सीबीजी खरीद मूल्य निम्नलिखित स्लैब के अनुसार होगा, जो आईएस 16087 2016 विनिर्देशन (या इसके नवीनतम संस्करण) के अनुसार किसी भी दूरी (एक तरफ से 75 किमी तक) पर स्थित रिटेल आउटलेट पर वितरित सीबीजी का न्यूनतम खरीद मूल्य होगा और 250 बार दबाव पर कम्प्रेस्ड किया जाएगा। 5 रुपये के अंतराल के साथ 70.01 रुपये/किलोग्राम से शुरू होकर स्लैब तैयार किए गए हैं। उन बाजारों के लिए जहां सीएनजी उपलब्ध नहीं है, सीएनजी आरएसपी के बदले सीबीजी आरएसपी पर विचार किया जाएगा।

क्र. सं.	सीएनजी का स्लैब में न्यूनतम खुदरा मूल्य	सीएनजी का स्लैब में अधिकतम खुदरा मूल्य	सीबीजी का खरीद मूल्य	सीबीजी का खरीद मूल्य
	कर सहित	कर सहित	जीएसटी रहित	जीएसटी सहित
	रु./कि.ग्रा.	रु./कि.ग्रा.	रु./कि.ग्रा.	रु./कि.ग्रा.
1	**70 तक**		**54.00**	**56.70**
2	70.01	75.00	55.25	58.01
3	75.01	80.00	59.06	62.01
4	80.01	85.00	62.86	66.01
5	85.01	90.00	66.67	70.01
6	90.01	95.00	70.48	74.01
7	95.01	100.00	74.29	78.01

नोट: 100 रुपये/किलोग्राम से अधिक के स्लैब को और अधिक भरने के लिए उसी फॉर्मूले का पालन किया जाएगा।

4. सीजीडी जेवी/सहायक और सीबीजी उत्पादक के बीच आपसी चर्चा के आधार पर नीचे दिए गए स्लैब के अनुसार सीबीजी संयंत्र से 75 किमी (एकतरफा दूरी) से अधिक सीबीजी के परिवहन के लिए अतिरिक्त परिवहन लागत का भुगतान अलग से किया जाएगा :

सीबीजी प्लांट से खुदरा बिक्री केन्द्र/बिक्री केन्द्र की एकतरफा दूरी	सीबीजी परिवहन का अतिरिक्त लागत रु./कि.ग्रा. (जीएसटी रहति)
75 **कि.मी. से** 100 **कि.मी. तक**	5.0
100 **कि.मी. से** 125 **कि.मी. तक**	6.4
125 **कि.मी. से** 150 **कि.मी. तक**	7.8

अतिरिक्त परिवहन स्लैब के अनुसार सीबीजी खरीद मूल्य के लिए लागू स्लैब निर्धारित करने के लिए आरएसपी से राशि की कटौती की जाएगी। प्रति स्लैब + अतिरिक्त परिवहन प्रतिपूर्ति के अनुसार सीबीजी के खरीद मूल्य के लिए संयंत्र के स्वामी को कुल राशि देय होगी।

5. उपर्युक्त मूल्य निर्धारण एक वर्ष के लिए या अगले संशोधन तक (जो सीएनजी मूल्य में गिरावट आदि के कारण हो सकता है) जो भी पहले हो, तक वैध होगा। यदि सीएनजी का आरएसपी रु. 70/कि.ग्रा. से कम हो जाता है तो सीबीजी के प्रापण मूल्य निर्धारण में तत्काल संशोधन करना होगा।

आईएस 16087: 2016 मानकों (या इसके नवीनतम संस्करण) के अनुसार शुद्ध सीबीजी का खरीद मूल्य, 250 बार दबाव पर कम्प्रेस्ड और कैसकेड में ओएमसी रिटेल आउटलेट्स (संयंत्र स्थल से 25 किलोमीटर की एकतरफा दूरी तक स्थित आरओ) को सुपुर्द किया गया तथा जो 31.03.2029 तक पहले से घोषित न्यूनतम मूल्य 46 रुपए प्लस लागू जीएसटी से कम नहीं होगा ।

10. इस ईओआई दस्तावेज़ में उल्लिखित आवेदक को अंतिम रूप देना एक सतत प्रक्रिया है, जिसका उल्लेख निविदा आमंत्रण सूचना में किया गया है, जिसे सीजीडी कंपनी के निर्णय के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। सीजीडी कंपनी बिना कोई कारण बताए किसी भी समय प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार रखती है। इस ईओआई दस्तावेज़ में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के खिलाफ समय-समय पर प्राप्त सभी आवेदनों का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन करने पर, यदि आवेदक को किसी भी पात्रता मानदंड के समर्थन में अधूरा या अस्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत किया गया पाया जाता है, तो आवेदक को पात्रता मानदंडों के समर्थन में स्पष्टीकरण/ आवश्यक दस्तावेज मांगने के लिए एक तकनीकी-व्यावसायिक प्रश्नावली भेजी जा सकती है।

II. <u>सामान्य</u>

1. इस दस्तावेज़ में तीन खंड शामिल हैं, नामत: ईओआई आमंत्रित करने की सूचना, ईओआई प्रस्तुत करने का प्रारूप (आवरण-पत्र सहित **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न, और इसका **अनुलग्नक-क**) शामिल है।

2. आवेदक पात्रता मानदंडों को पूरा करने के समर्थन में परिसमापन, अदालती रसीवरशिप या ऐसी समान कार्यवाही के तहत न होने का स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करेगा। जहां-कहीं लागू हो, इसे सभी भागीदारों द्वारा समान रूप से प्रदान किया जाएगा। इसका एक प्रारूप **अनुबंध II** के रूप में संलग्न है।

3. ईओआई तैयर करने या सुपुर्दगी के संबंध में आवेदक द्वारा किए गए किसी भी खर्च की लागत या व्यय के लिए सीजीडी कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी।

4. **ईओआई के मूल्यांकन की प्रक्रिया, एलओआई जारी करना, एलओआई की स्वीकृति और वाणिज्यिक समझौते पर हस्ताक्षर करना:**

i. ईओआई की प्राप्ति पर, सीजीडी आवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरणों के आधार पर ईओआई का मूल्यांकन करेगी। अधूरी जानकारी/ दस्तावेजों के मामले में, सीजीडी कंपनी आवेदक को निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना/ दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सूचित करेगी। सीजीडी कंपनी के पास यह अधिकार है कि वह ईओआई को रद्द कर सकता है यदि अनुरोध करने पर आवश्यक सूचना/दस्तावेज 01 महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं।

ii. पात्रता मानदंडों के आधार पर, सीजीडी कंपनी ईओआई को रद्द करेगी या आवेदक को वाणिज्यिक समझौते के प्रारूप और बीजी प्रारूप के साथ एलओआई जारी करेगी। सीजीडी कंपनियों द्वारा जारी एलओआई बैंक गारंटी प्रस्तुत करने तक कानूनी रूप से गैर-बाध्यकारी है।

iii. एलओआई प्राप्त होने पर आवेदक निम्नलिखित कार्य करेगा:

क. आवेदक विस्तृत परियोजना व्यवहार्यता, बाजार सर्वेक्षण, फीडस्टॉक विश्लेषण, भूमि की पहचान, प्रौद्योगिकी को अंतिम रूप देना, उठान तंत्र, संयंत्र क्षमता के साथ-साथ मात्रा पुनरुद्धार योजना, परियोजना निष्पादन अनुसूची, फर्म का गठन (जैसे संयुक्त उद्यम, एसपीवी आदि) और सीबीजी संयंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक अन्य अध्ययन/ विश्लेषण करेगा।

ख. फर्म का पुनर्गठन : फर्म के पुनर्गठन का कोई भी प्रस्ताव नियमित मामले के रूप में स्वीकार किया जाएगा कि जबतक कि पुनर्गठन का ऐसा कोई भी प्रस्ताव कानून अथवा राष्ट्रीय हित/सीजीडी के कारोबारी हित के विरूद्ध न हो । सीजीडी कंपनी द्वारा अनुमति देने से इनकार करने पर लिखित कारणों के साथ सीबीजी निर्माता के संज्ञान में लाया जाएगा और कंपनी/फर्म के पुनर्गठन हेतु अनुमति सुनिश्चित करने के लिए सही भावनाओं के साथ समस्याओं के समाधान हेतु दोनों पक्षों के साथ प्रयास किया जाएगा ।

यदि ओजीसी की पूर्व लिखित सहमति के बिना कंपनी के गठन में बाद में कोई बदलाव होता है, तो यह पाया जा सकता है कि कुछ वैधानिक दिशानिर्देशों / कानून आदि के कारण ओजीसी द्वारा किसी भी परिस्थिति में आपकी फर्म के पुनर्गठन को नियमित / स्वीकृति या अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, ऐसी स्थिति में, आपकी फर्म / कंपनी के पुनर्गठन को नियमित करने में कठिनाई को दूर करने के लिए दोनों पक्षों से पारस्परिक कार्य समाधान ढूढ़ने के लिए तथा नियमन हेतु गंभीरतापूर्वक प्रयास किया जाएगा । केवल चरम स्थिति में, जब कोई समाधान नहीं मिल सकता था, तो अनधिकृत पुनर्गठन के कारण एलओआई को निरस्तीकरण पर विचार किया जाएगा ।

ग. आवेदक सीजीडी कंपनी को अपने सीबीजी संयंत्र की प्रगति के बारे में नियमित रूप से सूचित करेगा । भूमि आबंटन, तंत्र की प्राप्ति, परियोजना निष्पादन अनुसूची, प्रारंभन की तिथि, संयंत्र की क्षमता तथा उत्पादन वृद्धि अनुसूची सीजीडी कंपनी के परामर्श से फाइन की जाएगी ।

आवेदक के अनुरोध के आधार पर सीजीडी कंपनी वाणिज्यिक करार पर हस्ताक्षर से पूर्व उसी या आसपास के भौगोलिक क्षेत्र में सीबीजी प्लांट के स्थान में परिवर्तन की अनुमति पर विचार कर सकती है ।

सीजीडी कंपनी उपर्युक्त गतिविधियों के निष्पादन में आवेदक द्वारा किसी भी लागत या व्यय के लिए उत्तरदायी नहीं होगी ।

घ. सीजीडी कंपनी, यदि आवश्यक हो, तो सीजीडी पाइपलाइन नेटवर्क में सीजीजी इंजेक्शन जैसे अन्य व्यवहार्य विकल्प, सीजीडी द्वारा कैस्केड और/ या सीबीजी कंप्रेशर्स के प्रावधानों, चार्ज के आधार पर पाइपलाइन की बुनियादी ढांचागत सेवाएं प्रदान करने, सीजीडी द्वारा समूहों में विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को बिक्री करने के लिए सृजित गैस भंडारण सुविधाओं में सीबीजी आपूर्ति की सुविधा का मूल्यांकन कर सकती है।

ड. सीबीजी मूल्य श्रृंखला में विभिन्न लागत घटकों के प्रावधान के बाद संबंधित सीजीडी और सीबीजी कंपनी के बीच आपसी करार पर विचार किया जा सकता है, जो ईओआई में उपलब्ध प्रस्तावित मूल्य निर्धारण ढांचे के समग्र आशय को बनाए रखेगा।

च. आवेदक सीजीडी कंपनी के साथ वाणिज्यिक करार को अंतिम रूप देगा।

छ. आवेदक एलओआई की तारीखा के 03 महीनों के अंदर सीजीडी कंपनी को हस्ताक्षरित वाणिज्यिक करार के साथ एलओआई प्रस्तुत करेगा। **एलओआई धारक के अनुरोध पर सीजीडी कंपनी निर्धारित समय-सीमा में वृद्धि के अनुकूल रूप से विचार करेगी ।** सीजीडी कंपनी को एलओआई स्वीकृति प्रदान करने की 03 महीने की समय-सीमा को बढ़ाने या एलओआई समाप्त करने का अधिकार होगा, यदि इसे 03 महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

ज. आवेदक एलओआई की स्वीकृति के एक महीने के भीतर, सीबीजी की खुदरा बिक्री के लिए सीजीडी कंपनी के निवेश की सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा।

5. **बैंक गारंटी (बीजी):** आवेदक एलओआई की स्वीकृति के एक महीने के भीतर, सीबीजी की खुदरा बिक्री के लिए सीजीडी कंपनी के निवेश की सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा।

सीजीडी द्वारा दिए गए प्रारूप के अनुसार **1 लाख रुपए की राशि** की बैंक गारंटी 03 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

6. आवेदक को सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है जैसा कि अंग्रेजी भाषा में इस ईओआई में उल्लेख किया गया है। ईओआई दस्तावेजों के साथ किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किसी भी मुद्रित साहित्य/ दस्तावेजी साक्ष्य को एक प्रामाणिक अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऐसे मामले में, दस्तावेज़ की व्याख्या के उद्देश्य के लिए, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

III. <u>विशेष निबंधन एवं शर्तें</u>

सीजीडी कंपनी को सीबीजी की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तें संकेतक हैं पूरक नहीं हैं।

- ▯ **व्यवसाय मॉडल**
  - बिंदु 9 में उल्लिखित अनुसार विशिष्ट व्यापार मॉडल, जिसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
  - सीजीडी कंपनी के ब्रांड नाम के अंतर्गत बेचा जाने वाला सीबीजी।

- **गुणवत्ता मापदंड**
  - सीबीजी की आपूर्ति आईएस 16087:2016 मानकों **(अथवा इसके नवीनतम संस्करण)** के अनुसार होगी। फिल्ट्रेशन यूनिट, ड्राइंग यूनिट और ऑनलाइन गैस क्रोमैटोग्राफ/ गैस विश्लेषक का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि सीबीजी आईएस 16087:2016 मानकों के अनुरूप है। डिलीवरी के दौरान सीबीजी को 250 बार दबाव में संपीड़ित किया जाएगा।
  - आवेदक के पास एक सुसज्जित प्रयोगशाला, ऑनलाइन गैस क्रोमैटोग्राफ/ गैस विश्लेषक और सभी संगत परीक्षण उपकरण होने चाहिए।
  - आवेदक द्वारा रखे गए सभी प्रयोगशाला उपकरण सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा समय-समय पर प्रमाणित किए जाएंगे।
  - आवेदक द्वारा प्रमाणित परीक्षण रिपोर्ट आपूर्ति के प्रत्येक बैच के साथ संलग्न की जाएगी।
  - सीजीडी कंपनी को स्वतंत्र नमूना परीक्षण करने का अधिकार होगा, जो सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
- ▯ **आपूर्ति की शर्तें**
  - सीबीजी आपूर्ति संवर्धन योजना का विवरण वाणिज्यिक करार में उपलब्ध होगा।
  - वाणिज्यिक करार की अवधि 15 वर्ष होगी। इसे आपसी सहमति पर बढ़ाया जाएगा।

- **आपूर्ति में व्यवधान**
  - यदि आपूर्ति निरंतर अवधि के लिए नहीं होती है या रुक-रुक कर होती है, तो सीजीडी कंपनी आपूर्ति को निलंबित करने या वाणिज्यिक करार को समाप्त करने या निर्माता के जोखिम और लागत पर अन्य स्रोतों से सीबीजी/ सीएनजी प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।
- **अनुमोदन**
  - विक्रेता अपनी सुविधा और उपकरणों के लिए सभी आवश्यक सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- **सुरक्षा प्रक्रिया**
  - दोनों पक्ष लागू सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।

IV. **अखंडता समझौता**

आवेदक को सीजीडी कंपनी के साथ वाणिज्यिक समझौता करने से पहले संबंधित सीजीडी कंपनी के लिए अनिवार्य रूप से एक अखंडता समझौते (आईपी) पर हस्ताक्षर करने होंगे।

V. शिकायत निवारण तंत्र

इस ईओआई से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का समाधान सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा के माध्यम से किया जाएगा ताकि ऐसे विवाद का शीघ्र हल किया जा सके। यदि विवाद बना रहता है, तो सीजीडी कंपनी के प्रावधानों के अनुसार पार्टियां विवाद सुलझने पर, यदि लागू हो, सहमत होंगी। यदि 60 दिनों की अवधि के भीतर सुलह द्वारा विवाद का समाधान नहीं होता है या सीजीडी कंपनी सुलह नियम की गैर-प्रयोज्यता की स्थिति में, पार्टियां स्कोप सुलह और मध्यस्थता फोरम (एसएफसीए) के नियमों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा विवाद को निपटाने के लिए सहमत होंगी। मध्यस्थता के लिए स्थान नई दिल्ली होगा और मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

VI. शासी कानून

भारतीय संघ के कानून ईओआई से संबंधित सभी मामलों को नियंत्रित करेंगे। ईओआई पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों/निदेशों के अध्यधीन होंगे तथा इस ईओआई के अंतर्गत कोई भी क्रियाकलाप इस प्रकार के दिशानिर्देशों की सदैव पुष्टि करेंगे । ईओआई या चयन प्रक्रिया से संबंधित कोई भी मुद्दा केवल नई दिल्ली, भारत के न्यायालयों में ही अधिनिर्णित होगा।

सीजीडी कंपनी को बिना कोई कारण बताए अपने पूर्ण विवेक पर प्राप्त किसी भी या सभी ईओआई को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षति होगा।

VII. <u>महत्वपूर्ण टिप्पणी</u>

इस विज्ञापन में सीजीडी कंपनी की ओर से सीबीजी का उठान करने की कोई प्रतिबद्धता शामिल नहीं होगी या इसमें कोई भी प्रतिबद्धता नहीं मानी जाएगी।

सीजीडी कंपनी को ईओआई को अर्हता प्राप्त करने या स्वीकार करने और बिना कोई कारण बताए, जो कोई भी हो, अस्वीकार करने का एकमात्र अधिकार है।

इसके अलावा, यह विज्ञापन प्रस्तावित ईओआई में भाग लेने के लिए किसी भी पार्टी के अधिकार की न तो पुष्टि करता है और न ही उम्मीद करता है।

अनुलग्नक-I

ईओआई प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप
(आवेदक के आधिकारिक स्टेशनरी / शीर्ष-पत्र पर मुद्रित किया जाए)

सेवा में
(यथा लागू संबंधित सीजीडी कंपनी का नाम और पता)

प्रिय महोदय,

विषय: "संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) की सीजीडी कंपनियों को आपूर्ति करने" के लिए रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना।

आपके ईओआई आमंत्रण सूचना के संदर्भ सं.: गेल_सीबीजी.......... दिनांक .... के संदर्भ में और **"विस्तृत संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) की सीजीडी कंपनियों को आपूर्ति करने"** के लिए ईओआई दस्तावेज़ में उल्लिखित विस्तृत दस्तावेजों, चयन मानदंड और अन्य विवरणों की जांच करने के बाद, मैं/ हम एतद्द्वारा मेरी / हमारी रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करते हैं।

1. इस संबंध में आवश्यक सभी अनुसूचितयां और दस्तावेज संलग्न हैं। सभी दस्तावेज/ दस्तावेजों की फोटोकॉपी मेरे/ हमारे द्वारा स्व-सत्यापित की गई हैं और यदि दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज/ फोटोकॉपी गलत/ जाली पाई जाती है तो सीजीडी कंपनी हमारी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है।
2. मैं/ हम, एतद्द्वारा यह भी घोषित करते हैं कि मैं/ हमने ईओआई के सभी नियम एवं शर्तों को पढ़ लिया है तथा ईओआई में उल्लिखित सभी नियम एवं शर्तें मुझे/हमें स्वीकार हैं ।
1. मैं/ हम, एतद्द्वारा यह भी घोषित करते हैं कि मेरा/ हमारी संस्था/ फर्म किसी भी केंद्रीय/ राज्य सरकार, विभाग, एजेंसी, सार्वजनिक उपक्रम/ संस्थान/ एजेंसियां/ स्वायत्त संगठन द्वारा प्रतिबंधित नहीं है/ काली सूची में नहीं डाली गई है।
4. ईओआई के नोटिस के अनुसार मुझसे मांगी गई जानकारी इस पत्र के **अनुलग्नक-क** में संलग्न है।

भवदीय,

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर)
पदनाम:
दिनांक:
स्थान:

अनुलग्नक-क

परियोजना का नाम	**सीजीडी कंपनी को संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) की आपूर्ति**	
1.0 सामान्य जानकारी		
ईपीआई प्रस्तुत करने वाले आवेदक का नाम		
आवेदक की प्रकृति या कानूनी स्थिति		
आवेदक की संरचना	उद्यमी/सोल प्रोपराइटरशिप/भागीदारी/सीमित देयता भागीदारी/कंपनियां/ सहकारी समितियां/ प्रौद्योगिकी प्रदाता	
संबंध और भूमिका सहित परियोजना में शामिल संबद्ध कंपनियों का नाम और पता, यदि कोई हो,		
आवेदक के पंजीकरण दस्तावेज का विवरण *(कंपनी/ संगठन के पंजीकरण का विवरण प्रदान करें और प्रति उपलब्ध कराएं)*		
आवेदक का पंजीकृत पता		
अधिकृत संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम और पताः मोबाइल नंबर लैंडलाइन नंबर फैक्स नंबर		
ईमेल (आवेदक का व्यक्तिगत और सामान्य ई-मेल, यदि उपलब्ध हो)		
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम और पता		
पैन विवरण (प्रतिलिपि संलग्न की जाए)		
जीएसटी नंबर (प्रतिलिपि संलग्न की जाए)		
आवेदक द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार सीबीजी प्लांट की कुल संख्या जिनका वह स्वामी है तथा जिन्हें प्रौद्योगिकी/सेवाएं/लाइसेंस उपलबध कराए गए हैं ।	डेमो/प्रायोगिक	वाणिज्यिक

संयंत्रों का विवरण जिनसे सीजीडी कंपनी को सीबीजी की आपूर्ति की जानी है।			
सीजीडी कंपनी का विवरण तथा इसके भौगोलिक क्षेत्र जहां सीबीजी की आपूर्ति की जाएगी ।	सीजीडी कंपनी का नाम	भौगोलिक क्षेत्र का नाम	
संयंत्र का विवरण (एक पर निशाना लगाएं)	विद्यमान/निर्माणाधीन/नियोजित		
संयंत्र का स्थान	कस्बा/गांव/शहर	जिला	राज्य
संयंत्र की क्षमता	.... सीजीबी का टीडीपी		
प्रयुक्त होने वाले फीडस्टॉक (टन/दिन प्रत्येक फीडस्टॉक की मात्रा)	....................(टन प्रति दिन) ....(टन प्रति दिन) ....(टन प्रति दिन)		
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पदनाम मोहर दिनांक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का टेलीफोन / ईमेल			

टिप्पणी:

आवेदक उपर्युक्त के संदर्भ में सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

1. **आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेजों पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर होने चाहिए।**

अनुलग्नक II

(आवेदन के पत्र-शीर्ष पर)

शपथ-पत्र

मैं_______________________________________,
____के ⁎निदेशक/ प्रोपराइटर/ पार्टनर/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (फर्म/ कंपनी का नाम और इसका पूरा पता लिखें) एतद्द्वारा निष्ठापूर्वक पुष्टि और घोषणा करते हैं कि:-

1. हमारी फर्म/ कंपनी अर्थात्____(⁎फर्म/ कंपनी का नाम लिखें) ________________________________ (अधिनियम के नाम का उल्लेख करें) के प्रावधानों के तहत पंजीकरण संख्या _____________________ है।

2. हमारी फर्म/ कंपनी अर्थात्____(फर्म/ कंपनी का नाम लिखें) ने पूरे भारत में सीजीडी कंपनी को संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) की आपूर्ति के लिए रुचि की अभिव्यक्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन किया है।

3. ____ (फर्म/ कंपनी का नाम लिखें) उल्लिखित आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए पात्र है क्योंकि यह परिसमापन, अदालती कार्य या इसी तरह की कार्यवाही के अधीन नहीं है।

4. हमारे आवेदन में /के साथ प्रस्तुत सभी जानकारी, दस्तावेज और घोषणाएं हमारी जानकारी और समझ के अनुसर सही हैं।

5. यदि हमारे आवेदन में/ के साथ प्रस्तुत किसी सूचना, दस्तावेज या घोषणा को बाद में गलत पाया जाता है, तो हम __________ (सीजीडी कंपनी का नाम) को इसके कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करेंगे और ________ (सीजीडी कंपनी का नाम) जैसा उचित समझे कोई भी कार्रवाई कर सकता है।

स्थान:

(हस्ताक्षर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर)

दिनांक:

अनुलग्नक III

भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) की सूची जिसके लिए ईओआई आमंत्रित की गई है			
क्र.सं.	**भौगोलिक क्षेत्र का नाम**	**राज्य**	**सीजीडी कंपनी का नाम**
1	पटना जिला	बिहार	गेल (इंडिया) लिमिटेड
2	पूर्वी सिंहभूम जिला	झारखंड	गेल (इंडिया) लिमिटेड
3	रांची जिला	झारखंड	गेल (इंडिया) लिमिटेड
4	खोरधा जिला	ओडिशा	गेल (इंडिया) लिमिटेड
5	कटक जिला	ओडिशा	गेल (इंडिया) लिमिटेड
6	वाराणसी जिला	उत्तर प्रदेश	गेल (इंडिया) लिमिटेड
7	रामनगर जिला	कर्नाटक	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
8	वलसाड (पहले से अधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर), धुले और नासिक जिले	महाराष्ट्र और गुजरात	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
9	सिंधुदुर्ग जिला	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
10	पुणे शहर जिसमें पिंपरी चिचवाड़ और आसपास के क्षेत्र जैसे हिंजेवाड़ी, चाकन, तालेगांव शामिल हैं	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
11	बुल्दाना, नान्देड़ परभानी जिले	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
12	निजामाबाद, अदीलाबाद, निर्मल, मनचेरियल और कुमारम भीम असीफबाद जिले	तेलंगाना	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
13	झांसी (भाग) जिला	उत्तर प्रदेश	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
14	बरेली (भाग) जिला	उत्तर प्रदेश	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
15	कानपुर (भाग) जिला	उत्तर प्रदेश	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
16	फैजाबाद और सुल्तानपुर जिले	उत्तर प्रदेश	ग्रीन गैस लिमिटेड

17	उन्नाव (पहले से अधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर) जिला	उत्तर प्रदेश	ग्रीन गैस लिमिटेड
18	आगरा	उत्तर प्रदेश	ग्रीन गैस लिमिटेड
19	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	ग्रीन गैस लिमिटेड
20	इंदौर (उज्जैन शहर सहित) (भाग) जिला	मध्य प्रदेश	अवंतिका गैस लिमिटेड
21	ग्वालियर (भाग) जिला	मध्य प्रदेश	अवंतिका गैस लिमिटेड
22	काकीनाडा	आंध्र प्रदेश	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
23	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
24	हैदराबाद	तेलंगाना	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
25	रायगढ़ जिला (पहले से अधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर)	महाराष्ट्र	महानगर गैस लिमिटेड
26	मुंबई और ग्रेटर मुंबई	महाराष्ट्र	महानगर गैस लिमिटेड
27	ठाणे शहरी और निकटवर्ती नगरपालिका	महाराष्ट्र	महानगर गैस लिमिटेड
28	अगरतला	त्रिपुरा	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड
29	गोमती जिला	त्रिपुरा	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड
30	पश्चिम त्रिपुरा (पहले से अधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर) जिला	त्रिपुरा	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड
31	देहरादून जिला	उत्तराखंड	गेल गैस लिमिटेड
32	देवास (भाग) जिला	मध्य प्रदेश	गेल गैस लिमिटेड
33	सोनीपत (भाग) जिला	हरियाणा	गेल गैस लिमिटेड
34	मेरठ (भाग) जिला	उत्तर प्रदेश	गेल गैस लिमिटेड
35	बेंगलुरु ग्रामीण और शहरी जिले	कर्नाटक	गेल गैस लिमिटेड
36	फिरोजाबाद (ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन)	उत्तर प्रदेश	गेल गैस लिमिटेड
37	गिरिडीह और धनबाद जिले	झारखंड	गेल गैस लिमिटेड
38	दक्षिण कन्नड़ जिला	कर्नाटक	गेल गैस लिमिटेड
39	सुंदरगढ़ और झारसुगुडा जिले	ओडिशा	गेल गैस लिमिटेड

40	गंजाम, नयागढ़ और पुरी जिले	ओडिशा	गेल गैस लिमिटेड
41	सेराइकेल-खरसावन जिला	झारंखड	गेल गैस लिमिटेड
42	पश्चिम सिंहभूम जिला	झारखंड	गेल गैस लिमिटेड
43	रायसेन, शाजापुर और सीहोर जिले	मध्य प्रदेश	गेल गैस लिमिटेड
44	मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र जिले	उत्तर प्रदेश	गेल गैस लिमिटेड
45	गाजापटी, कंधावल, बौध और सोनपुर जिले	ओडिशा	गेल गैस लिमिटेड
46	पूर्वी गोदावरी जिला (पहले से अधिकृत क्षेत्र को छोड़कर)	आंध्र प्रदेश	गोदावरी गैस प्राइवेट लिमिटेड
47	पश्चिमी गोदावली जिला	आंध्र प्रदेश	गोदावरी गैस प्राइवेट लिमिटेड
48	कोटा (भाग) जिला	राजस्थान	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड
49	ग्वालियर (पहले से अधिकृत क्षेत्र को छोड़कर) और श्योपुर जिला	मध्य प्रदेश	राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड
50	हरिद्वार जिला	उत्तराखंड	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड
51	उत्तरी गोवा जिला	गोवा	गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड
52	वडोदरा	गुजरात	वडोदरा गैस लिमिटेड
53	कोलकाता नगर निगम तथा उत्तरी 24 परगाना, दक्षिणी 24 परगाना, हावड़ा, हुगली तथा नदिया जिले के निकटवर्ती क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड
54	कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिले	असम	पूर्बा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड
55	कामरूप और कामरूप महानगर जिले	असम	